प्रेस.विज्ञप्ति दिनांक 01.09.2026

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

राधिका नगर में निगम की चालानी कार्रवाईए नियमों का उल्लंघन करने वालों से 8,700 वसूले

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जोन क्रमांक.01, वार्ड क्रमांक.07 राधिका नगर क्षेत्र में स्वच्छता एवं नगर निगम के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गीला एवं सूखा कचरा पृथक नहीं रखनेए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करनेए डस्टबिन नहीं रखने, अनुज्ञप्ति लाइसेंस संबंधी नियमों का पालन नहीं करने तथा नाली में अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान सत्यम चाय नाश्ता से सिंगल यूज प्लास्टिक पाए जाने पर ₹700, शाह बुद्धिन किराना स्टोर से ₹400, कुसुम जनरल स्टोर से ₹500 तथा अनिल इडली डोसा सेंटर से ₹500 का जुर्माना वसूला गया। वहीं बार्बर हेयर कटिंग एवं अनिल डोसा सेंटर में डस्टबिन नहीं पाए जाने पर क्रमशः ₹400 एवं ₹200 की चालानी कार्रवाई की गई।

इसके अलावा सांझ रेस्टोरेंट से अनुज्ञप्ति लाइसेंस संबंधी कार्रवाई के तहत ₹5,000 तथा सुशील मुखर्जी से नाली में अतिक्रमण पाए जाने पर ₹1,000 का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार निगम की टीम द्वारा कुल ₹8,700 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई।

निगम प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलगण्अलग रखेंए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, प्रतिष्ठान में डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें तथा निगम के नियमों का पालन करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।

संलग्न.फोटो जनसम्पर्क अधिकारी